आवंटन
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010920

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज, निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या 1/शा0/81/2018–1/301/2018 लखनऊः दिनांक 11 अक्टूबर, 2018

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 की अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–09–उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि0 की लम्बित देनदारियों के लिए अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में अनुपूरक मांगों के माध्यम से प्राविधानित धनराशि का व्यय हेतु आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक उप सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0–81/2018/3153/33–3–2018–100(3)/2017 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुपूरक मांगों के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू0–3,48,000/–के सापेक्ष शत–प्रतिशत धनराशि रू0–3,48,000/– (रूपया तीन लाख अड़तालिस हजार मात्र) को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

(धनराशि रूपये में)

लघु शीर्षक मानक मद	आवंटित की जा रही धनरशि	कोषागार का प्रगामी
09–उ0प्र0 वित्त एवं विकास निगम लि0 की लम्बित देनदारियों के लिए अनुदान–20–सहायक अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	3,48,000/–	3,48,000/–

(रूपया तीन लाख अड़तालिस हजार मात्र)

1–आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

2–आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

3–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि आवंटित की जा रही है।

4–वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक के साथ–साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाये।

5–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6–व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैनशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7–वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशि के एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8–वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

9–आवंटित धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30.03.2017 व अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–16/2018/बी–2/979/दस–2018–244/2018 दिनांक 01 सितम्बर, 2018 में दिये गये निर्देशें तथा शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

10–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

11–निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–09–उ0प्र0 पंचायतीराज वित्त एवं विकास निगम लि0 की लम्बित देनदारियों के लिए अनुदान–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

–2–

1–यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–ई–2–247/X–18 दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

2–किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

3–वित्तीय वर्ष 2018–19 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 25–02–2019 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–139 पर अंकित है।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/81/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-11/10/2018

प्रेषण संख्या:- 1-sha-81-2018-1-301-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-301-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
09 - उ0प्र0 पंचायतीराज वित्त एव विकास निगम लि0 की लम्बित देनदारियों का भुगतान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	348000 348000	348000 348000
	योग	वर्तमान प्रगामी	348000 348000	348000 348000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन लाख अड़तालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन लाख अड़तालीस हजार

५०

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी